न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

ठीन अधिकारी- अनिल कुमार चौधरी (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू.	निर्णय दिनांक
) / 2020	15.07.2020	19/08/2024

हनुमान प्रसाद आयु 53 वर्ष
सीताराम आयु 44 वर्ष
राजेश आयु 35 वर्ष
फूला बाई आयु 49 वर्ष
पिसरान लक्ष्मण जातियान प्रजापत कुम्हार निवासीयान ग्राम ठींगला, तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

स्थतः-
श्री चंद्रप्रकाश जांगिड एड0 प्रार्थी की और से।

:- निर्णय -:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का ये वकील पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण आपस भाई बहिन है तथा ग्राम ठींगला तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर के सी है। प्रार्थीगण के पिता लक्ष्मण पुत्र केश्या जाति कुम्हार निवासी ठींगला तहसील सवाई माधोपुर की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 49 के खसरा नंबर 32 रकबा 0.81 है0 बारानी -1 रा नंबर 166 रकबा 0.71 है0 चाही-3 खसरा नंबर 167 रकबा 0.08 है0 ही -3 , खसरा नंबर 171 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह, खसरा र 172 रकबा 1.44 है0 चाही-3, खसरा नंबर 174 रकबा 0.67 है0 चाही , खसरा नंबर 175 रकबा 0.67 है0 चाही-3 खसरा नंबर [illegible] है0 खसरा नंबर 461 रकबा 0.06 है0 चाही-2 खसरा नंबर 463 रकबा 8 है0 चाही-2 खसरा नंबर 480 रकबा 0.22 है0 बारानी-1 खसरा नंबर 1 रकबा 0.05 है0 बारानी-1 खसरा नंबर 482 रकबा 0.[illegible] है0 बारानी सरा नंबर 545 रकबा 0.53 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 5.78 है0 वाके म ठींगला तहसील व जिला सवाई माधोपुर हिस्सा 1/4 है। जमाबंदी वत 2061-64 प्रस्तुत है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 110 के खसरा र 454 रकबा 0.25 है0 चाही-2 खसरा नंबर 455 रकबा 0.20 है0 ही-2 खसरा नंबर 456 रकबा 0.06 है0 चाही-2 कुल किता 3 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Damod
Date: 2025.09.10 13:57:3
Reason: SelfAttested

0.51 है0 वाके ग्राम ठींगला में 1/6 हिस्सा है। जिसकी जमाबंदी 2061–64 प्रस्तुत है। प्रार्थीगण के पिता लक्ष्मण का स्वर्गवास दिनांक .1991 का हो जाने के बाद उसके वारिस एवं उत्तराधिकारी प्रार्थीगण मान्तकरण संख्या 399 दिनांक 23.02.2006 तथा नामान्तकरण संख्या दिनांक 23.01.2007 को खोला गया जिसकी प्रार्थी संख्या– 3 राजेश लक्ष्मण के स्थान पर सहवन से मुकेश पुत्र लक्ष्मण का नाम दर्ज हो जबकि प्रार्थी संख्या–3 राजेश पुत्र लक्ष्मण का नाम आधार कार्ड में लय रिकार्ड में दर्ज है जो सही है। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र री हल्का ठींगला के यहां दिनांक 06.07.2007 को प्रस्तुत कर निवेदन था कि प्रार्थी संख्या–3 का नाम रेवेन्यु रिकार्ड में मुकेश पुत्र लक्ष्मण थान पर राजेश पुत्र लक्ष्मण दुरस्त कर दे तब पटवारी हल्का ने मना दिया इस कारण बाद कारण दिनांक 06.07.2020 को श्रीमानजी के धिकार में पैदा हुआ है। प्रार्थना पत्र को सुनने का पूर्ण अधिकार ीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वे रिकार्ड में प्रार्थी संख्या–3 का नाम मुकेश पुत्र लक्ष्मण के स्थान पर श पुत्र लक्ष्मण दुरूस्त करवाए। प्रार्थना पत्र निश्चित कोर्ट फीस पर नजी के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। बकया उज्रात बरवक्त जुबानी अर्ज जावेगे। प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार आदेशित फरमाया जावे कि रेवेन्यू र्ड जो प्रार्थना पत्र के मद नंबर–2 में वर्णित खातेदार प्रार्थी संख्या–3 नाम मुकेश पुत्र लक्ष्मण के स्थान राजेश पुत्र लक्ष्मण का नाम दुरूस्त ाया जाकर इसी प्रकार रेवेन्यू रिकार्ड में इंद्राज फरमाये जाने के श प्रदान करने की कृपा करें। कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये स तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट ीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर पनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता या 246 में फूलाबाई पुत्री लक्ष्मण हि 1/4 मुकेश, सीताराम, हनुमान द पि0 लक्ष्मण हि 3/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार दर्ज मृतक लक्ष्मण पुत्र केश्या जाति कुम्हार सा0 देह की विरासत जरिये ना0 संख्या 399 दिनांक 23.09.2006 से हनुमान प्रसाद, सीताराम, लक्ष्मण फूला बाई पुत्री लक्ष्मण जाति कुम्हार हि 1/4 बंदी स्वीकार हुआ। वादी का बोलना नाम मुकेश था, एवं नामान्तर सत का दर्ज करते समय आम लोगों से जानकारी के आधार पर मुके नाम से विरासत खोली गई। मुकेश का नाम अन्य दस्तावेजों में नाम श है। ग्राम ठींगला के पडौसी खातेदारान से पूछताछ करने पर बताया राजेश एवं मुकेश दोनो एक ही व्यक्ति है। इस नाम का अन्य कोई क्ति नहीं है। ग्राम ठींगला की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 6 में दर्ज खातेदारान फूलाबाई पुत्री लक्ष्मण, सीताराम, हनुमान प्रसाद लक्ष्मण के द्वारा बयान दर्ज कराये गये जिसके अनुसार हमारी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar S
Date: 2025.09.10 13:57:31 IST
Reason: SelfAttested

संख्या में संयुक्त खातेदारी भूमि जो कि हमारे पिता के नाम दर्ज पिता की मृत्यु होने पर विरासत से नामा0 संख्या 399 दिनांक 23.02. से स्वीकार हुआ जिसके मेरे भाई राजेश पुत्र लक्ष्मण का बोलता नाम आम जानकारी के द्वारा हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर दिया गया। मुकेश का अन्य सभी दस्तावेजो में नाम राजेश दर्ज है। राजस्व में मुकेश के बजाय राजेश दर्ज किया जाता है तो हमे कोई त्ति नहीं होना दर्ज कराया गया है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि प्रार्थीगण की व ग्राम ठींगला मे खाता संख्या 49 के खसरा नंबर 32 रकबा 0.81 है0 ही –1 खसरा नंबर 166 रकबा 0.71 है0 चाही–3 खसरा नंबर 167 0.08 है0 चाही –3 , खसरा नंबर 171 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन खसरा नंबर 172 रकबा 1.44 है0 चाही–3, खसरा नंबर 174 रकबा 0. है0 चाही –3, खसरा नंबर 175 रकबा 0.67 है0 चाही–3 खसरा नंबर रकबा 0.14 है0 खसरा नंबर 461 रकबा 0.06 है0 चाही–2 खसरा नंबर रकबा 0.08 है0 चाही–2 खसरा नंबर 480 रकबा 0.22 है0 बारानी–1, रा नंबर 481 रकबा 0.05 है0 बारानी–1 खसरा नंबर 482 रकबा 0.31 बारानी–1 खसरा नंबर 545 रकबा 0.53 है0 कुल किता 14 कुल रकबा है0 वाके ग्राम ठींगला तहसील व जिला सवाई माधोपुर हिस्सा 1/4 जमाबंदी सम्वत 2061–64 प्रस्तुत है। इसी प्रकार खाता संख्या नया के खसरा नंबर 454 रकबा 0.25 है0 चाही–2 खसरा नंबर 455 रकबा है0 चाही–2 खसरा नंबर 456 रकबा 0.06 है0 चाही–2 कुल किता 3 रकबा 0.51 है0 की सुयक्त खातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खातेदारी कि हमारे पिता के नाम दर्ज थी। पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत नामान्तकरण संख्या 399 दिनांक 23.02.2006 स्वीकार हुआ जिसमें श पुत्र लक्ष्मण का बोलता नाम मुकेश आम जानकारी के द्वारा हल्का ारी द्वारा दर्ज कर दिया गया जबकि मुकेश का अन्य सभी दस्तावेजो में राजेश दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की करे।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन किया तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट का लोकन किया। प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता लक्ष्मण का स्वर्गवास ांक 17.06.1991 में होने के बाद उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या दिनांक 23.01.2007 में दर्ज प्रार्थी संख्या 3 का नाम मुकेश पुत्र लक्ष्मण स्थान पर राजेश पुत्र लक्ष्मण सही करवाने हेतु आवेदन किया है। सीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 246 में फूलाबाई पुत्री लक्ष्मण 1/4 मुकेश, सीताराम, हनुमान प्रसाद पि0 लक्ष्मण हि 3/4 जाति म्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार दर्ज है। मृतक लक्ष्मण पुत्र केश्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:47:31 IST
Reason: SelfAttested

कुम्हार सा0 देह की विरासज जरिये नामा0 संख्या 399 दिनांक 23.
06 से हनुमान प्रसाद, सीताराम, मुकेश पि0 लक्ष्मण फूला बाई पुत्री
जाति कुम्हार हि 1/4 शेष बदस्तूर जमाबंदी स्वीकार हुआ। वादी
लना नाम मुकेश था एवं नामान्तकरण विरासत का दर्ज करते समय
लोगों से जानकारी के आधार पर मुकेश के नाम से विरासत खोली
मुकेश का नाम अन्य दस्तावेजों में नाम राजेश है। ग्राम ठींगला के
खातेदारान से पूछताछ करने पर बताया कि राजेश एवं मुकेश दोनो
ही व्यक्ति है। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। प्राप्त
लदार रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीगण का
पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:–कियात्मक आदेश –:

विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि व ग्राम ठींगला मे खाता संख्या 49 के खसरा नंबर 32 रकबा 0.81 है0 ी –1 खसरा नंबर 166 रकबा 0.71 है0 चाही–3 खसरा नंबर 167 0.08 है0 चाही –3 , खसरा नंबर 171 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन खसरा नंबर 172 रकबा 1.44 है0 चाही–3, खसरा नंबर 174 रकबा 0. है0 चाही –3, खसरा नंबर 175 रकबा 0.67 है0 चाही–3 खसरा नंबर रकबा 0.14 है0 खसरा नंबर 461 रकबा 0.06 है0 चाही–2 खसरा नंबर रकबा 0.08 है0 चाही–2 खसरा नंबर 480 रकबा 0.22 है0 बारानी–1, रा नंबर 481 रकबा 0.05 है0 बारानी–1 खसरा नंबर 482 रकबा 0.31 बारानी–1 खसरा नंबर 545 रकबा 0.53 है0 कुल किता 14 कुल रकबा है0 वाके ग्राम ठींगला तहसील व जिला सवाई माधोपुर हिस्सा 1/4 जमाबंदी सम्वत 2061–64 प्रस्तुत है। इसी प्रकार खाता संख्या नया के खसरा नंबर 454 रकबा 0.25 है0 चाही–2 खसरा नंबर 455 रकबा है0 चाही–2 खसरा नंबर 456 रकबा 0.06 है0 चाही–2 कुल किता 3 रकबा 0.51 है0 प्रार्थी संख्या 3 का नाम मुकेश पुत्र लक्ष्मण के स्थान राजेश पुत्र लक्ष्मण का नाम दुरूस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड शुद्ध किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तूर यथावत रहेगा। आदेश की पालना निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को भिजवायी जावे। निर्णय दिनांक 29/08/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर ... यालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में ... कर दफ्तर दाखिला हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar
Date: 2025.09.10 13:57:31 IS
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर